

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी  
जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263146

विश्वविद्यालय फार्म के एन खण्ड पूर्वी प्रक्षेत्र बेनी में स्थित मछली के तालाब को तीन वर्ष (दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2020 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर दिये जाने हेतु निविदा।

निविदा-प्रपत्र

निविदा संख्या..... : निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा (वैट अतिरिक्त)  
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 19.06.2017 सांय 5.00 बजे तक  
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय : दिनांक 20.06.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक  
निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 20.06.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे

क्र०सं०	विवरण	क्षेत्रफल है०	टेका शुल्क की अवधि	धनराशि
1	एन खण्ड, पूर्वी प्रक्षेत्र, बेनी में स्थित मछली के तालाब को दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क पर दिया जाना	2.00	01.07.2017 से 30.06.2020	अंको में ₹ ..... शब्दों में ₹ .....

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹ ..... बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद सं०..... दिनांक..... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

रसीद सं०.....

दिनांक.....

धनराशि ₹ .....


निविदाता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

ग्राम व पो०.....


तह०..... जनपद.....

पिन..... दूरभाष.....

  
निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

## निविदा की शर्तें

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ ₹ 10,000.00 धरोहर राशि (वापसी योग्य) जमा करनी होगी। उच्चतम् बोलीदाता की धरोहर धनराशि को अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।
2. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्त में जमा करनी होगी, पहली किस्त अनुबन्ध के साथ तथा दूसरी किस्त अनुबन्ध की तिथि से ठीक 01 वर्ष 06 माह बाद सम्बन्धित लाइसेंस शुल्कदाता को जमा करनी होगी। यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक शुल्क की धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो विलम्ब से किये गये भुगतान की अवधि पर 24 प्रतिशत विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।
3. उच्चतम् निविदादाता को 10 प्रतिशत धनराशि सुरक्षा धनराशि के बतौर फार्म कार्यालय में अलग से जमा करनी होगी, जो प्रथम किस्त के साथ जमा होगी।
4. तालाब की निविदा की अवधि दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2020 तक की होगी तथा अनुबन्ध स्वीकृति प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना आवश्यक होगा।
5. सम्बन्धित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने के लिये डीजल पम्प/विद्युत पम्प की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिये विश्वविद्यालय फार्म की कोई देयता नहीं होगी।
6. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा।
7. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नौनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा करना होगा जो किसी भी स्थिति में वक्त जरूरत काम आये।
8. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी प्रकार का कर, टैक्स/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/स्थानीय निकाय या इनके प्रतिष्ठानों द्वारा लगाया जाता है तो उसके भुगतान का उत्तरदायी उच्चतम् बोलीदाता होगा जिसके पक्ष में नीलामी स्वीकृति की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा।
10. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे-सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे-सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं है।

  
निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर